न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 210/2022/दावा 136 एलआरएक्ट

राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 6 बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य　　　　　दिनांक – 17.11.2022

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. 882 ता 887 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6400 हैक्टर ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास भू.अभि.नि. क्षेत्र बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का नाम गोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज है, उक्त भूमियों में वादी का जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्जानुसार 4/15 हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। वादी का सही व वास्तविक नाम राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम है, जो वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य पहचान में वादी का नाम राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम की जगह गोपाल पुत्र बन्ना राम दर्ज हो गया है जो गलत है, गोपाल पुत्र बन्ना राम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम उद्घघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों की लापरवाही से राम गोपाल गौरा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

बन्ना राम के स्थान पर गोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम है तथा गोपाल पुत्र बन्नाराम तथा राम गोपाल गौरा पुत्र बन्ना राम एक ही पुरूष है जो संशोधन किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया, उसके पश्चात वादी ने श्रीमानजी की सेवामें दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर ख.नं. 882 ता 887 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6400 हैक्टर ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गोपाल पुत्र बन्नाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से राजपेरोकार ने नोटेड किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम गोपाल पुत्र बन्नाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी बाज्यावास अनुसार ग्राम बाज्यावास के ख.नं. 882 ता 887 किता 6

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

कुल रकबा 3.64 है0 में जमाबंदी सम्वत 2076–79 अनुसार वादी का नाम गोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी बाज्यावास अनुसार उपरोक्त आराजियात में खातेदारी जरिये विरासत से प्राप्त है जिसका नामान्तरकरण सं. 203 दिनांक 21.12.2010 के अनुसार गोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी बाज्यावास अनुसार वादी के दस्तावेज जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में वादी का सही नाम रामगोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार गोपाल पुत्र बन्नाराम के स्थान पर रामगोपाल पुत्र बन्नाराम शुद्व किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 882 ता 887 कुल किता 6 कुल रकबा 3.6400 हैक्टर ग्राम बाज्यावास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम गोपाल पुत्र बन्नाराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र बन्नाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ